विमुक्त घुमंतु समुदाय का अतित एवं वर्तमान दशा- दिशा

प्रा. युवराज सुभाष जाधव
डॉ. तात्यासाहेब नातू कॉलेज ऑफ़ आर्ट्स एंड
सीनियर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मार्ग ताम्हाने
मार्ग ताम्हाने, तालुका-चिपलुन, जिला रत्नागिरी,
मोबाइल नंबर 8668836580.
ईमेल आईडी yuvarajayu@ gmail.com

सारांश

प्राचीन भारत से लेकर आज तक अपने पारंपरिक व्यापारी रवैये से भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति में योगदान देने वाला विमुक्त घुमंतू जन समुदाय हमेशा उपेक्षित रहा है. 'द्रव वही है बदला केवल पात्र' उक्ती के अनुसार प्राचीन भारत के आर्थिक सुबत्तावाले समाज से लेकर ब्रिटिशो ने भी इस समाज पर कई अत्याचार किए हैं. आज भारत की स्वतंत्रता की 75 वी अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं फिर भी भारत की 191 जातियों की इन 25 करोड़ आबादी वाले विमुक्त घुमंतू समाज को अपने न्यायोचित मानव अधिकारों से वंचित रहना पड़ रहा है ,यह बहुत ही दुर्भाग्यशाली बात है..

बीज शब्द : घुमंतू, स्वतंत्रता, सफेदपोश

घुमंतु समुदाय का शाब्दिक अर्थ:

समुदाय उसे कहते हैं जिसमें अधिकांश जनता का समूह होता है. घुमंतु समुदाय का शाब्दिक अर्थ है इधर- उधर घूमने वाले अस्थिर जनसमुदाय जैसे बेसहारा पंछियों का समुदाय. प्रकृति के बदलते चक्र के अनुसार जैसे पंछियों को अपना आवासीय जीवनक्रम बदलना पड़ता है वैसे घुमंतु समुदायों को अपने जीवन के जीने के पहलुओं में बदलाव करना पड़ता है. आज हम भले ही भारत की स्वतंत्रता का 75 वा अमृत महोत्सव मना रहे हैं फिर भी हमारे भारतीय समाज के उन विकास की धारा से पिछवाड़े पर पड़े भारतीय लोगों को अत्याचारों से कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिली है. स्वतंत्रता के बाद भारत में निर्माण हो गई विकास धारा में इन घुमंतू समाज पर हमें गौर करना चाहिए कि वे सचमुच पीड़ा से आजाद हो गए क्या? प्राचीन भारत से लेकर आज के इन सफेदपोश लोगों ने इन घुमंतू लोगों को हमेशा अत्याचारों से पीड़ित कराया है.जैसे इन लोगों के जीने का हक और उनके मानवाधिकारों को भी हमेशा अधिकारों से वंचित कराया गया है.

घुमंतू कौन है:

स्वतंत्रतापूर्व ब्रिटिश प्रशासन ने इस स्थिति में अपनी प्रशासनिक पकड़ को मजबूत करने के लिए तथा इस पकड़ का विरोध करने वाले गुटों को खारिज करने के अपने रवैया के अनुसार **क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट** 'कानून को 1871 मैं बनाया तथा 191 आदिवासियों और घुमंतू जंगल वासी लोगों की जाति को जन्मजात अपराधी का करार दे दिया गया. इसका एकमात्र कारण यह था कि इन घुमंतू जनजातियों वाले लोगों ने ब्रिटिश प्रशासन का कड़ा विरोध किया तथा सरकारी कार्यालयों को जलाना ,रेल की पटरी उखाड़ना, सरकारी कानूनों को ठुकराना यह ब्रिटिश विरोधी कार्य किया था. ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनके मन में भारत देश के प्रति स्वाभिमान की भावना थी भारतीय भूमि पर होने वाले अत्याचार कभी भी सहने के लिए तैयार ही नहीं थे परंतु यह ब्रिटिश नजर में बहुत बड़ा अपराध था. इसी कारण ब्रिटिश ने उनको जन्मजात अपराधी का करार दे दिया. वास्तव में यह घुमंतू कौन है? तो हमारे भारत के गांव शहरों से दूर सामाजिक ,आर्थिक, राजकीय जीवनों से बहिष्कृत जनजाति के लोगों में नट ,भाट, बंजारा ,सपेरा ,कंजर ,प्रेरनासिंगीवाला, तेली ,कोली ,घंटी चोर ,कालबेलिया ,जोगी ,फासेपारधी, जैसे 191 समुदाय आते हैं. इस समुदाय के लोग पूरे भारतवर्ष में फैले हैं जिनमें अधिकांश लोग राजस्थान, हरियाणा,पंजाब ,मध्य प्रदेश ,गुजरात ,उत्तर प्रदेश राज्य में पाए गए हैं. महाराष्ट्र में अक्टूबर-नवंबर में फसल के काटने पर खेती में आवास बनाने वाले फासेपारधी लोगों का झुंड हमारा ध्यान आकर्षित करता है. समाज ने ऐसे घुमंतू लोगों को हमेशा अपनी नजर से दूर ही रखा है. केवल उनसे पूरे कष्ट के काम

करवाना लेकिन अपने नजदीक नहीं आने देना ऐसा रवैया लोगों ने अपनाने के कारण प्राचीन भारत से लेकर आज तक यह लोग किसी भी जगह स्थिर नहीं हो सके और इसीलिए हमेशा वह घुमक्कड़ जैसे लोग बन गए हैं. सरकार से इनको कुछ जमीन भी मिली है लेकिन उस पर भी बड़े सफेदपोश शागिर्द लोगों ने अपना हक जमा किया है. भौतिक सुविधाओं का नाम तो इन लोगों के जीवन में आता ही नहीं है. गरीबी जीवन जीना इनके जीवन का एक अविभाज्य अंग बन गया है. इन लोगों को न जीवनआवश्यक पानी समय पर मिलता है न बिजली की उनके जीवन में आशा होती है, ना कुछ भौतिक सुविधाओं की आवश्यक वस्तुएं उनके जीवन में आते हैं .ऐसे विमुक्त घुमंतू जन समुदाय समाज में हमेशा दुर्बलता से भरा रहता हैऔर फिर ऐसे शोषण के शिकार बन जाता है की जिनका कोई भी सहारा नहीं होता.2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारतवर्ष में इन घुमंतू जनजातियों वाले लोगों की संख्या 15 करोड़ बताई गई है.

घुमंतू जनजाति के लोगों का जीवन जीने का ढंग

प्राचीन भारत के उज्जवल इतिहास में घुमंतु लोगों का उल्लेख मिलता है. घुमंतू होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले घुमंतू समाज के लोगों ने गधे ,उंट,जंगली जानवरों की की सहायता से अरब से लेकर मुल्तान तक तथा पूरे भारतवर्ष में व्यापार के कष्ट उठाने में इन लोगों ने अपना पूरा सहयोग दिया है. जंगल से प्राप्त लकड़ियों से लेकर जड़ी बूटियां, फल ,जंगली मेवा आदि को बाजार में बेचना तथा शाम को उन्हीं पैसों से धुंध होकर शराब में धुत होना इनकी स्वभावगत विशेषता है. जन समुदाय उनके यहां पिछली 4 शतकों से टूटी फूटी, झोपड़ी ,बड़ी आबादी ,गरीबी ,अछूतापन यह उनके समुदाय की विशेषता प्राचीन भारत से 21वीं सदी के उत्तरार्ध में कायम मजबूत बनी है ,यह भारत जैसे कुछ महान देश के लिए बहुत दुर्भाग्यशाली बात है .जिस देश के स्वतंत्रता के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से लेकर महात्मा गांधी जैसे लोगों ने अपने जीवन को समर्पित करते हुए देश को आजादी दिला दी है.आजादी इन विमुक्त घुमंतू जाति के लोगों के लिए कभी भी सुखदायक उनके मानव अधिकारों को सुरक्षित करने वाली बिल्कुल नहीं बन पाई है. क्या यह विमुक्त घुमंतू समाज भारत का एक अंग नहीं है जिन लोगों के बदौलत हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है तात्पर्य भारत के स्वतंत्रता में इन विमुक्त घुमंतू समाज के उन वीरों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है जिसमें वीर संतान ,बिरसा मुंडा जैसे महान लोगों का चरित्र शामिल है ब्रिटिशहो ने इसीलिए इन लोगों के देश प्रेमी को खारिज करने के इरादे से ही इन लोगों को 1857 के बाद इन लोगों को जन्मजात अपराधी होने का करार देते हुए इन लोगों के जीवन के मानव अधिकारी को इस प्रकार खारिजकर दिया था . गांव से दूसरे गांव में अपने परिवार सहित घूमने वाले ऐसे विमुक्त घुमंतू लोगों को एक तो शहर में कोई भी सहारा नहीं देता और घुमक्कड़ जीवन को यह लोग अपनाना चाहते हैं .इस प्रकार गरीबी ही इन लोगों की एक ऐसी विशेषता बनी है और इसी कारण यह लोग घुमक्कड़ जीवन जीते हैं .इन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान इसमें से रोटी और कपड़ा यही एक आवश्यकता बन जाती है .इन लोगों के लिए कोई भी शाश्वत मकान होता नहीं है और इस प्रकार जैसे खुला आकाश, खुली हवा और सूरज के प्रकाश यही इनके जीवन की एक आवश्यकता बन जाती है और फिर ऐसे लोगों को एक वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो जाता है .जैसे सफेदपोश लोग इतनी संपत्ति कमाते हैं लेकिन इन लोगों की तरफ देखने के लिए राजनीतिज्ञों से लेकर हमारे देश के सामान्य नागरिकों को भी कभी समय नहीं मिलता और इस प्रकार यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात हो जाती है कि हमारे ही विशाल भारत के ऐसे भी विमुक्त घुमंतू लोग अपनी जीवन की आवश्यकताएं पूरी करते समय इन लोगों को अपना जीवन ऐसे ही खराब स्थिति में बिताना पड़ता है कि न इनके बच्चों को उचित शिक्षा मिलती है न इनको एक वक्त की रोटी मिलती है. ऐसे बहुत ही कठिन परिस्थिति में यह लोग अपनी जीविका योजना करते रहते है.

स्वतंत्रता पूर्व भारत में घुमंतु लोगों का योगदान

गरीबी लाचारी में फंसे घुमंतू समाज ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिशओके खिलाफ बिगुल फूंक दिया था. हिंदू संस्कृति के रक्षक, त्यागी ,बलिदानी ,दृढ़ प्रतिज्ञ ऐसे गाड़ियां लोहारों, बिरसा मुंडा, संथाल, इनके बलिदान को तो सभी लोग स्मरण करते हैं. महाराष्ट्र में तो श्रद्धालु बिरसा मुंडा जैसे वीरों ने ब्रिटिश शासन को जर्जर कर दिया था. रेल की पटरियों को उखाड़ देने से, सरकारी कार्यालयों को लूटना, अत्याचारी ब्रिटिशओ को मौत दिलाना ,सरकारी खजाना लूट कर गरीबों में बांट देना जैसे

देश कार्य से संबंधित कार्य इन लोगों ने हमेशा किए हैं.इस प्रकार इन घुमंतू समाज के वीरों ने ब्रिटिश शासन के ईट को हिला दिया था. परिणाम स्वरूप ब्रिटिशओने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को परास्त करने के पश्चात इन घुमंतू समाज को कुचलने में खूब सारा प्रयास किया है. इतना ही नहीं 191 घुमंतू समाज के जनजातियों को जन्मजात अपराधी का करार देते हुए उन्हें कलंकित करा दिया गया. उनके उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया. जंगलों को आग लगाकर उनकी झोपड़ियों को जला दिया गया है भारतीय इतिहास इन घुमंतू समाज के इन वीरों के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान को, सशस्त्र विद्रोह को कभी भी विस्मृत नहीं कर सकता.

स्वतंत्रता के बाद इन घुमंतू समाज की दशा

दर-दर की ठोकरें खाने वाले इन घुमंतू समाज ने 15 अगस्त के 1947 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ किए गए भाषण के शब्द भले ही सुने हो परंतु उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 5 साल का संघर्ष करना पड़ा. परिणाम था 1952 में इन समाजों को ब्रिटिश द्वारा मिला हुआ जन्मजात अपराधी होने का कानून. भारत सरकार ने इस अन्याय कानून को खारिज करके जन्मजात अपराधी होने से घुमंतू समाज को भी मुक्ति दिलाई. अब वह विमुक्त जनजातियां कहलाती है. अंग्रेजों के दमनआत्मक रवैया के विरुद्ध स्थानीय कृषक जातियों तथा जनजातियों ने अपनी क्षमता के अनुसार ब्रिटिश खिलाफ विद्रोह करके देश के कई लोग समर्पित हो गए .देश के स्वतंत्रता में योगदान देने वाले इन विमुक्त घुमंतु जातियों के प्रति हमारे आज के भारतीय राजनीतिक लोग हमें उपेक्षित नजर से इन लोगों को देखते हैं .यह भारत की स्वतंत्रता के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण करने वाला घटक है.दुर्भाग्यवश भारतीय राजनीतिक लोगों ने उन्हें यथोचित भारतीय गौरव से भी हमेशा दूर रखा है.

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद घुमंतू समाज के प्रति भारतीय सरकार का दृष्टिकोण

भारतवर्ष के कई राज्यों में बेलदार, बंजारा ,फासेपारधी जैसी जनजातियां आज भी दर-दर की ठोकरें खाती नजर आती है. 1947 से लेकर 2021 तक घुमंतू समाजों के विकास के लिए भारत सरकार तथा प्रादेशिक राज्यों की सरकारों ने कई सुधारात्मक रवैया को अपनाते हुए इन जनजाति का विकासात्मक प्रयास किया है. जैसे 1952 में उन्हें जन्मजात अपराधी ब्रिटिश कानून से विमुक्ति करार दिया गया. भारतीय संविधान ने इन घुमंतू समाज के लोगों के लिए सामाजिक नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान लागू किया है. सविधान निर्माता महामानव डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जी ने इन समाज के उत्थान के लिए हमेशा जोर दिया है. भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रिमूवल ऑफ एरिया रिस्ट्रिक्शन अमेंडमेंट एक्ट १९७६ लागू करके घुमंतु समुदाय के लोग जिस एरिया में आवास करते वहां की जमीन -जायदाद पर उन्हें सरकारी प्रमाण पत्र देकर उन्हें अधिकार प्रदान किए जाएंगे ,ऐसा भी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में बताया है. महाराष्ट्र सरकार ने जमीन हक्क अधिग्रहण कानून लागू करके इन बंजारा ,जंगल में रहने वाले पिछड़े लोगों को जंगल की जमीन अधिग्रहण कानून के तहत अधिग्रहण अधिकार प्रदान किए हैं. भारत सरकार का सामाजिक न्याय तथा आदिवासी कल्याण विभाग भारत के ऐसे पिछड़े जनजाति के कल्याण के लिए हर साल अनुदान राशि भी मुहैया कराता है.

भारत देश के लिए घुमंतू समाज का योगदान

घुमंतू समाज ने हमेशा भारतीय लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है. प्रतिष्ठित लोगों द्वारा दिया गया हर एक कष्ट का काम उनके लिए बहुत आनंदित बात दिलाता है. जी जान से और मेहनती अंदाज से काम करना यह इस समाज का एक स्वभाव बन गया है. गांव या शहर के रोड का काम करना ,खेती का काम करना, फसल काटना, पेड़ों की कटाई करना ,जंगल से लकड़ी शहर में वे बेचना ऐसे काम इन घुमंतू समाजों के जीवन का एक अंग बन गया है. जंगल में रहने वाले यही घुमंतू लोगों ने जंगल की जड़ी बूटियों ,दवाईउनका इनको बहुत अच्छा ज्ञान होता है और इसीलिए वह निकाल कर वह गांव- शहरों में आकर बेचने का काम भी करते हैं. बहरूपिया बनकर यह लोगों का मनोरंजन भी करवाते हैं. इन्हीं लोगों के कारण ही जंगल पेड़ पौधे सुरक्षित बचे हुए हैं .साथ ही पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में इन घुमंतू लोगों का खूब योगदान रहा है. रायगढ़ जिले में स्थित

पोलादपुर तहसील में रहने वाले आदिवासी घुमंतू लोग तो मार्च-अप्रैल के समय जंगल से दवाइयां ,काजू आम लाकर रोड के किनारे बैठ कर लोगों को बेचकर जन सेवा करते हुए अपना पेट पालते रहते हैं. बंदर के खेल दिखाने वाला बच्चों का अच्छा मनोरंजन करता है. महाराष्ट्र में तमाशा करने वाले नट लोग ,कारीगर यह तो लोगों को कलाकृति के माध्यम से मनोरंजन के ढंग बताते हैं.सचमुच ,यह बहुरूपिया , बेलदार, बंजारा ,फासेपारधी घुमंतू समाज के लोग कभी भी बड़ी -बड़ी इमारत के बांधने का तो सोचते नहीं लेकिन लोगों के जीवन में आनंद लाने की हमेशा कोशिश करते हैं.

घुमंतू समाज के लोगों का वर्तमान जीवन

2021 की जातिवार जनगणना अभी तक नहीं हो सकी है लेकिन इसके आंकड़े अंदाज से हम बता सकते है कि आज विमुक्त घुमंतू जातियों के लोगों की संख्या 25 करोड़ से भी ज्यादा होगी. आज पूरा भारत वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है फिर भी आज इन घुमंतू समाज का जीवन जैसा कि वैसा ही आज हमें देखने को मिलता है तो इससे हमारे सामने प्रश्न खड़ा होता है कि आज भारत को स्वतंत्रता मिलकर 75 साल तो हो गए लेकिन क्या हमने सचमुच आजादी के बाद इन गरीब ,घुमंतू, विमुक्त लोगों को सचमुच परेशानियों से मुक्त कर दिया है? आज भी वह अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और उनकी यह लड़ाई इतनी गंभीर और चुनौतीपूर्ण है कि स्वतंत्रता पूर्व उन्हें अंग्रेजों से लड़ना पड़ा, आप की बार अपने ही लोगों से उन्हें लड़ना पड़ रहा है. सामाजिक ,आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर विमुक्त, घुमंतु ,अर्ध घुमंतु ,खानाबदोश समाज के लोगों को न्याय से वंचित ही रहना पड़ रहा है. सरकार द्वारा इदाते कमीशन जैसे कई प्रकार की कमेटियां हर साल गठित की जाती है फिर भी इन समाज का विकास केवल दस्तावेजों में पड़ा रहता है. सरकार के सिर्फ मंत्रीगण केवल घोषणाएं करके समाज के पिछवाड़े लोगों के बारे में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं परंतु वह सब खोखली बातें होती है. घुमंतू समाज के लोग आज भी सामाजिक शैक्षणिक सुविधाओं से हमेशा पीड़ित रहे हैं. कोई एकाध दूसरा घुमंतू समाज का पढ़ा- लिखा व्यक्ति भी विदेशों में जाकर बस जाता है और अपने समाज को भूल जाता है .समाज के प्रतिष्ठित लोग घुमंतू समाज के लोगों की जीवन शैली पर रोक लगा रहे हैं. जंगलों को आग लगा दी जाती है .इससे इन घुमंतू लोगों की आवासीय स्थान भी उजड़ जाते हैं .जो बंजारे लोग प्राचीन भारत से गधे जैसे जानवरों के जरिए व्यापार किया करते थे ,अरब देश से नमक भी लाया करते थे उन्हीं लोगों के व्यापार पर सरकार ने 1995 में नमक व्यापार पर रोक लगाकर उनके जीवन को ही समाप्त करने का ढंगा अपनाया है .सरकार ने जंगल के अधिकारों को छीन लिया है .मेडिकल प्रैक्टिशनर अधिनियम के जरिए सिंहजीवाला ,सांसी ,जोगी ,कंजर ,ऐसे घुमंतू समाज के लोगों के पारंपरिक ज्ञान की पद्धति को ठुकरा दिया है. आज महाराष्ट्र से तमाशा तो लुप्त ही हो गया है .बागरी समाज के हाथों से उनकी जमीन भी छीन कर उन्हें हमेशा के लिए घुमंतू बना दिया गया है .घुमंतू लोगों के प्रति हमारे समाज में तिरस्कार का स्वर बड़ा है कि इन लोगों को सोसाइटी में प्रवेश निषिद्ध होता है. यह समाज के लोगों के मरने पर श्मशान भूमि भी उन्हें नसीब नहीं होती . नट लोगों के करतब पर भी रोक लगा दी जा रही है. केंद्र सरकार ने घुमंतू समाज के उत्थान के लिए रेनके आयोग इदाते कमीशन बनाया और यह केवल विकास का ही दिखावा ही है. विभिन्न राज्य सरकारी घुमंतू जनजाति के विकास के लिए कई घुमंतू बोर्ड बनाती है ,फिर भी बोर्ड के बजट का एक भी पैसा या न तो खर्च करती है या घुमंतू समाज को दिया जाता है . घुमंतू समाज का मानव अधिकार ही छीन छीन लिया गया है. आज भी घुमंतू समाज में न तो बिजली पहुंची है ना तो संपर्क की की कोई सुविधा है. सेहत से संबंधित मेडिकल सुविधा का भी समय पर मिलना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है. महाराष्ट्र में रायगढ़ जैसा एक ऐसा दुर्गम जिला है जहां पोलादपुर ,महाड ,पोलादपूर, मानगांव तहसील में स्थित कई घुमक्कड़ लोगों को हमेशा सेहत से संबंधित बीमारी के लिए मुंबई जाना बहुत कठिन होता है.प्राथमिक अस्पताल तो केवल और केवल दिखावा है और ऐसे लोगों को सेहत से संबंधित खतरनाक बीमारी के समय मुंबई तक जाने के लिए कोई परियोजनाएं भी नहीं होती और इस प्रकार ऐसे लोगों की दर्दनाक मृत्यु होती रहती है.

सुझाव

हमें हमेशा हर एक व्यक्ति के मानव अधिकार को उचित सम्मान देना चाहिए. घुमंतू समाज ने प्राचीन भारत से लेकर आज तक हमेशा भारतवर्ष में अच्छा योगदान दिया है .इसको हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. हम बड़े-बड़े सीमेंट के

घरों में रहते हैं लेकिन ऐसे घुमंतू ,घुमक्कड़ लोग जो गरीबी की अवस्था से गुजर रहे उन लोगों के प्रति भी हमारे मन में प्रेम ,संवेदना और सहकार्य की भावना होना महत्वपूर्ण है . इन घुमंतू लोगों के मानवाधिकार की हमें रक्षा करनी चाहिए. उनकी कला को हमें नवाजना चाहिए .स्थाई आयोग का गठन करके घुमंतू समाज में से नेतागण चुने जाने चाहिए ताकि वह उस समाज का उचित विकास कर सकेंगे. आरक्षण से संबंधित विसंगतियों को भी हटाया जाना चाहिए. हमारे देश का भविष्य उज्जवल बनाने वाले राजनीतिक लोगों ने भी अपनी कुटिल राजनीति को एक तरफ रख के संविधानिक विकास के माध्यम से ऐसे घुमंतू ,गरीब समाज को हमेशा संरक्षण देना चाहिए ताकि वह सुरक्षित रह सके और अपना विकास कर सके. घुमंतू समाज के न्यायोचित अधिकार हमेशा मजबूत बनने चाहिए. घुमंतू समाज के बच्चों ,महिलाओं के साथ सार्वजनिक स्थानों में भेदभाव करना कानूनी अपराध माना जाना चाहिए. सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा घुमंतू समाज के प्रति जनता में जागरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है. विमुक्त घुमंतू समाज लोगों लिए विशेष अनुदान मुहैया कराना बहुत महत्वपूर्ण है. उनका स्वास्थ्य ,भूमि आवास के प्रति वनाधिकार ,उनका कौशल्य विकास, महिला सशक्तिकरण के प्रति हर भारतीय नागरिक ने मानवीयता अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है.

निष्कर्ष

स्वतंत्रता पूर्व से जन्मजात अपराधी बने इन घुमंतू समाज के प्रति आज के युग में हमें मानवीयता का रवैया अपनाते हुए आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के दरमियान हमें इस समाज के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए. वह भी इंसान है ,ऐसा हर एक भारतीय नागरिक ने विचार करना चाहिए. उनके जीने के ढंग को सुरक्षा देना, सुरक्षा प्रदान करना चाहिए. स्वतंत्रता पूर्व से लेकर आज तक उनके भारत के प्रति किए गए योगदान को हमें हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए.विश्व मानवीय अधिकार ने भी हर विश्व के नागरिक के जीवन के न्यायोचित अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रावधान स्पष्ट किया है. भारत के हर एक नागरिक ने भी अपने देश के गठन में महत्वपूर्ण सहयोग देने वाले इन घुमक्कड़ घुमंतू समाज के जन समुदाय वाले लोगों के प्रति भी संवेदना रखते हुए उनके प्रति परोपकार सहकार्य की भावना रखनी चाहिए. पुणे गरीब कनिष्ठ समझकर ठुकरा ना गलत है. उन्हें चोर ,उचक्के समझ कर गांव सोसाइटी में प्रवेश निषिद्ध कर देना यह इंसानियत के खिलाफ है. हमें ऐसे लोगों के प्रति हमेशा मानवीयता पूर्ण व्यवहार करना चाहिए.

संदर्भ

1) इंटरनेट से प्राप्त जानकारी
2) क्रांतिवीर बनाम क्रिमिनल टाइप- 2015- प्रिंस प्रकाशन -बी.के .लोधी
3) समाचार पत्र -लोकसत्ता का लेख -
4) विमुक्त घुमंतू जनजातियों के लिए बनाए गए इदाते कमीशन की सिफारिशें..